संख्या- 19/979/78-2-2014-20आई.टी./2000

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

राज्य समन्वयक,
सीईजी,
लखनऊ ।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014

विषय:- नेशनल इन्स्टीटयूट फार स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा आयोजित ई-गवर्नेन्स चैम्पियन ट्रेनिंग कार्यक्रम में नामित दो जिलाधिकारियों पर निहित प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1733/78-2-2006-20आई.टी./2000 दिनांक 09.10.2006 का कृपया संन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेखनीय है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनआईएसजी हैदराबाद के माध्यम से राज्यों में ई-गवर्नेन्स संचालित करने वाले अधिकारियों का कैडर स्थापित करने के लिए ई-गवर्नेन्स चैम्पियन ट्रेनिंग में प्रतिभाग हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप-384/78-2-2006 दिनांक 24 फरवरी, 2006 द्वारा श्री संतोष कुमार यादव, जिलाधिकारी, गाजियाबाद (तत्कालीन) तथा आमोद कुमार, जिलाधिकारी, सीतापुर (तत्कालीन) को नामित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण नामित जिलाधिकारियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा एनआईएसजी हैदराबाद द्वारा कन्सलटेंसी पर निहित व्यय रू0 1,50,000/- का भुगतान करने का अनुरोध पत्र संख्या-NISG/CB&kM/e champ-1/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया है।(छायाप्रति संलग्न)

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत कैपासिटी बिल्डिंग मद में उपलब्ध धनराशि से दोनों नामित जिलाधिकारियों (तत्कालीन) पर निहित परामर्शी शुल्क रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान डिमान्ड ड्राफट /चेक के माध्यम से नेशनल इन्स्टीटयूट फार स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) को कैपासिटी बिल्डिंग की गाइडलाइन्स का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

http://srisailesh.upnic.in

संख्या:19/979(1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. चीफ इक्जीक्यूटिव आफीसर , नेशनल इन्स्टीटयूट फार स्मार्ट गवर्नमेंट, वाईएसआर भवन, फाईनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद- 500032 (आन्ध्र प्रदेश)।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in